जेलों पर स्थापित सी.सी.टी.वी. सिस्टम के रखरखाव हेतु ए.एम.सी की निविदा शर्त

—::::—

(1) निविदा की कार्यवाही मध्यप्रदेश भण्डार कय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (यथासंशोधित–2022) के प्रावधान के अंतर्गत ई–टेण्डर के माध्यम से की जाएगी।

(2) निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी वेबसाईट www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध है। निविदा शुल्क ठेके की लागत 05 लाख तक रू. 500 एवं 5 लाख से अधिक रू. 1000, प्रति निविदा फार्म ऑनलाईन लेखा शीर्ष 0056–जेलें–800 अन्य प्राप्तियां में करना होगा।

(3) निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने हेतु निम्नानुसार अभिलेख प्रस्तुत करना होगा–

- I आधार कार्ड एवं पेनकार्ड ।
- II निविदाकर्ता को प्रष्ठिान का दुकान स्थापना अधिनियम 1958 के तहत पंजीयन का वैध प्रमाण–पत्र।
- III निविदि कर्ता के प्रतिष्ठान का CCTV कैमरा संबंधित उपकरणों एवं तकनिकी सह उपकरणों की खरीद फरोख्त तथा सुधार कार्य से संबंधित नगरपालिका /निगम/परिसर का व्यवसायिक लाइसेंस प्रस्तुत करना होगा। यदि उक्त संस्थानों द्वारा लाईसेंस प्रदाय नहीं किया जाता है, तो इस संबंध में उक्त संस्था का व्यावसायिक लाईसेंस जारी ना करने के संबंध में स्पष्ट पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- IV CCTV उपकरणों के रखरखाव एवं इनके कार्य संबंधी तकनिकी विशेष ज्ञान रखने वाले एवं इस संबंध में किसी मान्यता प्राप्त अधिकृत संस्था का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले निविदाकार को तकनिकी निविदा में प्राथमिकता दी जायेगी।
- V जी.एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र।
- VI निविदा जारी होने की तिथी से विगत 3 वर्षो का आयकर रिटर्न।
- VII निविदा जारी होने की तिथी से विगत. त्रैमासिक (Quarterly) अथवा मासिक जमा करने की स्थिति में पिछले 3 माह का जी.एस.टी. रिटर्न।
- VIII निविदा शर्त 11 के अनुसार सी.ए. से प्रमाणित टर्न ओवर प्रमाण पत्र।
- IX निविदा शर्त 10 के अनुसार शासकीय विभागो में विगत 3 वर्ष का CCTV सिस्टम संबंधी कारण व अनुभव। जेल विभाग के अतिरिक्त किसी अन्य शासकीय विभाग का कम से कम 1 वर्ष का कार्य के अनुभव के अभिलेख।

(4) निविदाकार की निविदा प्रपत्र पर सील, जिसमें फर्म का पूरा पता एवं विवरण हो, अंकित होना चाहिए **(परिष्टि–ए एण्ड बी)।**

(5) निविदा प्रपत्र मे चाही गई जानकारी स्पष्ट व सुवाच्य अक्षरों में उल्लेख की जानी चाहिए। अधूरी जानकारी वाली निविदा अपूर्ण मानी जाएगी तथा इस प्रकार की अपूर्ण निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

(6) फर्म का कार्यालय/सर्विस सेंटर का पूरा पता, संबंधित व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता मोबाईल नम्बर सहित, निविदा में उल्लेखित होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(7) तकनीकी मापदंड के रूप में संबंधित जेल पर स्थापित सर्विलेंस सिस्टम के CCTV कैमरो, सामग्री व सह उपकरण जेलों द्वारा जारी सूची अर्थात **परिष्टि–सी** का यथा स्थिति में निविदाकर्ता अवलोकन कर ले, ताकि बाद में उनके रख रखाव में कोई असमंजस्य/विवाद की स्थिति निर्मित न हो। इस हेतु संबंधित जेल में कार्यालयीन समय 11 से 17 बजे तक दिनांक 14.07.2025 (प्रिविंडिंग) तक में संपर्क कर सर्वे कर सकते है।

8) CCTV सर्विलेंस सिस्टम के रख रखाव हेतु निविदाकार फर्म का स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल पर ऑन साईट सपोर्ट होना अनिवार्य है ताकि सिस्टम में खराबी आने पर फर्म के प्रतिनिधि आसानी से तुरंत उपलब्ध होकर ठीक कर सके। खराबी की स्थिति निर्मित न हो और सिस्टम बेरोकटोक निरंतर रूप से कार्य करता रहे, इस हेतु निविदाकार फर्म को सी.सी.टी.वी. तंत्र के समुचित रख रखाव के लिये निविदा के साथ एक नियोजित निवारक रख रखाव कार्ययोजना (Planned preventive Maintenance schedule) प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें इसकी संपूर्ण प्रक्रियां और परिशिष्ट–डी पर दी गई जानकारी का विस्तृत विवरण समाहित होगा। साथ ही निविदाकार निविदा के साथ एक वार्षिक कैलेन्डर परिशिष्ट–ई पर तालिका अनुसार प्रस्तुत करेंगे, जिसमें सी.सी.टी.वी. तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिये विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/ त्रैमासिक/अर्ध्दवार्षिक) निवारक रख रखाव गतिविधियों की आवश्यकता का विवरण उल्लेखित होगा।

(9) निविदा में फर्म की किसी भी प्रकार की अन्य शर्त मान्य नहीं होगी, अर्थात सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

(10) फर्म का 03 वर्ष का सी.सी.टी.वी. के प्रतिस्थापित करने या रख रखाव का अनुभव होना अनिवार्य है। जिसमें से कम से कम 1 वर्ष का जेल विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी पुलिस इकाईयों/अर्द्धसैनिक बलों/शासकीय संस्थानों में सी.सी.टी.वी. के रख रखाव संबंधी कार्य करने के कार्यादेश की छायाप्रति संलग्न करें।

(11) निविदा करने वाली फर्म का पिछले 03 वित्तीय वर्ष का औसत टर्न ओव्हर रूपये 1 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए।

(12) सर्विलेंस सिस्टम के अंतर्गत जो भी उपकरण, कैमरे के द्वारा चित्र लेने से लेकर उसके टेलीविजन पर डिस्प्ले तक के मध्य में आते हैं, सभी ए.एम.सी. में सम्मिलित होंगे। इसमें विद्युत से लेकर सी.सी.टी.वी. उपकरण तक, इससे संबंधित विद्युत कार्य व उपकरण भी शामिल होंगे।

(13) सामान्य रख रखाव के अंतर्गत वर्तमान स्थिति में कार्य न करने वाले कैमरों व उपकरण को नवीन लगाकर या मरम्मत कर पुनः चालू करना होगा। इसके अतिरिक्त समस्त टूट–फूट/खराबी, पूर्व से अथवा प्राकृतिक कारणों से अति है, ए.एम.सी. में शामिल होगी।

(14) रखरखाव के अंतर्गत जो भी हिस्से पूर्जे लगाये जाएं वे भी Original equipment manufacturer (O.E.M.) के होने चाहिएं।

Scanned with CamScanner

(15) सर्विलेंस सिस्टम के सुधार में जो भी अतिरिक्त सामग्री लगेगी उसका व्यय भार फर्म को ही वहन करना होगा, जिसका पृथक से भुगतान नहीं किया जाएगा।

(16) वार्षिक रखरखाव के संबंध में भुगतान, कार्य के उपरांत प्रति तिमाही की अंतिम तिथि के बाद किया जायेगा। आहरण एवं भुगतान प्रक्रिया में शासकीय व्यवधानों के कारण फर्म के भुगतान में विलंब भी हो सकता है। विलंब के लिए पृथक से भुगतान नहीं किया जावेगा।

(17) सफल निविदाकार को आदेश प्राप्ति के 07 दिवस के अन्दर स्थापित सभी कैमरों को दुरूस्त कर चालू हालत में करना होगा अन्यथा ए.एम.सी. की संपूर्ण राशि का 0.2 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से राशि का कटोत्रा किया जाएगा।

(18) ए.एम.सी. अवधि के अंतर्गत यदि कैमरों का संपूर्ण डिस्प्ले बंद होता है और उसे 24 घंटे में सुधारा नहीं जाता तो 24 घंटे पश्चात, ए.एम.सी. की संपूर्ण राशि का 0.5 प्रतिशत प्रति दिवस के मान से ए.एम.सी. राशि का कटोत्रा किया जाएगा।

(19) अनुबंध अवधि समाप्त होने के पश्चात विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत निविदाकार की सेवाएं सन्तोषजनक पाये जाने की स्थिति में, अनुबंध तीन माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस हेतु निविदाकार को परिशिष्ट–ई में पूर्ण निविदा अवधि की जानकारी प्रस्तुत करना होगी।

(20) सफल निविदाकार को मुख्यालय भोपाल द्वारा दिए गए प्रारूप के अनुसार वार्षिक अनुबंध पत्र रूपये 100/– के नॉन ज्युडिशियल स्टैम्प पेपर पर नियमानुसार तैयार करवाकर देना होगा।

(21) निविदा की प्रतिभुति (ई.एम.डी.) निविदा मूल्य की 3 प्रतिशत जमा करना होगी। सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त प्रदाय आदेश जारी होने पर अनुबन्ध पत्र के साथ सामग्री के कुल मूल्य की 3 प्रतिशत राशि का बैंक ड्राफ्ट, बैंक ग्यारन्टी, सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगी। जिसकी अवधि अनुबन्ध अवधि के 60 दिवस के बाद तक वैध होना चाहिए।

(22) संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को संबंधित स्थान से मरम्मत हेतु बाहर ले जाने के पूर्व, उसके बदले मे मरम्मत होने तक "स्टैंड बाय" सामग्री देनी होगी, जिससे कि सिस्टम यथावत चालू रहे।

(23) संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री को मरम्मत हेतु संबंधित स्थान से ले जाने एवं लाने के लिए किसी प्रकार का किराया फर्म को भुगतान नहीं किया जाएगा। संदर्भित सर्विलेंस सिस्टम की किसी भी सामग्री के मरम्मत हेतु अधिकतर उपयोग में आने वाले कैमरा, रेडियो लिंक, डिवाइस तथा अन्य उपकरणों के स्पेयर कॉम्पोनेन्टस की सूची उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा एवं इस सूची अनुसार स्थानीय सर्विस सेंटर अथवा संबंधित जेल साईट पर स्टैंड बाय स्टॉक रखा जाना आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

(24) यदि PTZ अथवा फिक्स कैमरों के सामने कोई व्यवधान उत्पन्न होता है जिसके कारण कैमरे की क्षमता पर असर आता है तो उसे दूर करने की जवाबदारी निविदाकर्ता फर्म की होगी।

(25) यदि किसी कारण से कैमरे को हटाया जा कर पुनः प्रतिस्थापित किया जाता है तो उसका अलग से शुल्क देय नहीं होगा। कैमरे को प्रतिस्थापित करने की जवाबदारी निविदाकर्ता की होगी।

(26) निविदा बिना कारण बताये पूर्णतः स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होगा। इस संबंध मे कोई भी पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(27) अनुबंध होने के पश्चात यदि निविदाकर्ता फर्म द्वारा सर्विलेंस सिस्टम के रखरखाव संबंधी कार्य बिना किसी कारण के बीच में बंद किया जाता है तो एक तरफा कार्यवाही करते हुए फर्म की धरोहर राशि राजसात कर ली जाएगी, उसके द्वारा किये गए कार्यों का भुगतान नहीं किया जाएगा। वार्षिक रख रखाव अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा। उस फर्म का नाम काली सूची में अंकित किया जाएगा, जिसके पूर्ण अधिकार महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं को होंगे।

(28) जेल अधीक्षक के आदेश से व्यथित कोई भी निविदाकर जेल महानिदेशक को अपील कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(29) वित्तीय निविदा में बतायी गयी राशि सभी कर सहित होनी चाहिए।

(30) CCTV उपकरणों के रखरखाव में निविदाकार द्वारा जिन कर्मचारियों की सेवाएं ली जायेगी, उन्हें सुरक्षा हेतु आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने का दायित्व संबंधित निविदाकार का होगा। CCTV उपकरणों के रख रखाव के दौरान यदि कोई घटना घटित होती है, तो कर्मचारियों की सुरक्षा एवं दायित्वों की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी।

(31) निविदाकार द्वारा CCTV उपकरणों के रख रखाव हेतु सर्विस देने वाले कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा, इस हेतु निविदा स्वीकृत होने के पश्चात जो भी कर्मचारी जेल भेजे जायेगें, उन कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

जेल अधीक्षक
जिला जेल झाबुआ

Scanned with CamScanner

ANNEXUE-A

DISTRICT JAIL JHABUA , MADHYA PRADESH

(TO BE FILLED UP BY THE TENDERER

1.	Name & Full address of the film.	
2.	Registered office with address.	
3.	Income tax PAN no.	
4.	Sales tax registration number and sale Tax clearance certificate of last financial year.	
5.	Whether proprietorship/limited company or private Ltd. or partnership.	
6.	If single proprietor, name and address of the proprietor.	
7.	If partnership firm, name and address of the partners.	
8.	If private Ltd. or public company, then name and address of directors.	
9.	Whether you have any shop & service centre in M.P. if so detail address of the same.	
10.	Name and address of the persons who will represent the firm while dealing with the jail headquarters.	
11.	Turnover for the last three years.	
12.	Supplies to government departments in last three years. (Please enclose purchase order copies)	

Signature and seal of tender

Scanned with CamScanner

ANNEXUE-B

DISTRICT JAIL JHABUA . MADHYA PRADESH

(Tender Notice no.-----------)

TENDER FORM

(i) Subject :- tender for---

(Mention the name of the articles for which the tender is submitted)

(ii) Name and full address of the firm submitting the tender

(iii) Address to :- The suppt. Of jail of Madhya Pradesh, ----------------------

(iv) Reference :- this with reference to tender No-------------- Date-----------------

(v) Tender Fee amounting to Rs. ------------ has been deposite vide challan No. --------- dated---------------------for Rs. ---------------------

(vi) We agree to able by all conditions mentioned in tender notice no. ------------ issued by the Suppt. of jail, Madhya Pradesh------------and also the general and specific term and conditions as annexed with said tender notice and as given in the attached sheets, all the pages of which have been signed in the margin, by us in token of our acceptance of the terms and conditions there in.

(vii) Our rates of the Supply of ---------------------------------are as under (mention the name of the each article and its quantity for which tender is submitted rate quoted should be in figures as well as in words)

1.
2.
3.

(viii) We further, agree to deliver mentioned within a period of 1 year, from the date of receipr of firm order.

(ix) We confirm that the rates quoted above are valid up to 1 year.

(x) Draft no.---------------Date------------------Rs.-----------------(Rs.------------------) In favour of the Suppt. of jail, Madhya Pradesh------------------on-------------- (Mention the name of the bank) is enclosed here with to cover Earnest money.

SIGNATURE OF PROPRIETOR/MANAGER
REPRESENTATIVE OF THE FIRM ON BEHALF
OF THE FIRM GIVING TENDER

Scanned with CamScanner

ANNEXUE-C

जिला जेल झाबुआ पर स्थापित सी.सी.टी.वी. उपकरणों का विवरण–

DISTRICT JAIL JHABUA, LIST OF EQUIPMENT

S.N.	ITEM DESCRIPTION	MARK & MODEL	QTY.	YEAR OF ESTABLISHMENT
1	Cisco Video Surveillance HD Outdoor IP PTZ Camera	Cisco	2	2017-18
2	Cisco Video Surveillaance IP Camera, HD Bullet Camera, VR, IR	Cisco	15	2017-18
3	Video Management server and recording server with 30 days recording at full Frame rate and full resolution	Cisco	1	2017-18
4	Client PC	DELL	2	2017-18
5	LED 47" With complete Equipment like mounting, installation for monitoring	LG	2	2017-18
6	1 KVA Online UPS (output) for Cameras for power backup of 2 Hr.	Numeric	Need base as per site Requirement	2017-18
7	Power backup for control room 5 KVA online UPS (N+1) Redundant with 2 Hr. back up	Numeric	1	2017-18
8	Optical Fiber	Finolex/Dlink	Need base as per site Requirement	2017-18

Total value of Equipment Rs. 32,12,819.00

जेल अधीक्षक
जिला जेल झाबुआ

Scanned with CamScanner

नियोजित निवारक रख रखाव कार्ययोजना का प्रस्ताव देने वाले निविदाकार द्वारा प्रस्ताव के अंतर्गत विस्तृत तौर पर प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी

(i) निवारक रख रखाव के अंतर्गत उपकरणों के ओ ई एम द्वारा प्रस्तावित सभी प्रकार की जाँच की जानकारी/सूची।

(ii) निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख रखाव का इन्स्पेक्शन प्लान एवं कार्य शेड्यूल।

(iii) निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख रखाव का प्रत्येक उपकरण की जाँच के रिकार्ड रखने के फॉर्म का प्रकार।

(iv) निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निवारक रख रखाव से संबंधित सभी एस.ओ.पी. (standard operating procedure)

(v) निविदाकार द्वारा प्रस्तावित निविदाकार द्वारा प्रस्तावित/वर्तमान में संचालित सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के पूर्व के रख रखाव के अनुभव एवं रिकार्ड।

(vi) निविदाकार द्वारा प्रस्तावित सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों में होने वाली तकनीकी त्रुटियों की पूर्व के अनुभव की जानकारी/डेटा जिसके आधार पर निवारक रख रखाव का प्रस्ताव आवेदक द्वारा तैयार किया गया है।

(vii) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों को बनाने वाली कम्पनियों द्वारा प्रत्येक उपकरण के बारे में अग्रेषित "निवारक रख रखाव योजना" एवं इस योजना के अंतर्गत की जाने वाली प्रत्येक उपकरण की जाँच की जानकारी/सूची (Maintenance Manual/Operational Manual)

(viii) निवारक रख रखाव योजना के अंतर्गत प्रस्तावित जांच में प्रयोग में लिये जाने वाले यूजर मेन्युअल इत्यादि की प्रति/जानकारी।

(ix) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के समुचित रख रखाव के लिये आवश्यक तकनीकी कलपुर्जों की उपलब्धता सभी जेलों में सही समय सुनिश्चित किये जाने हेतु निविदाकार द्वारा बनाई गई योजना की जानकारी।

(x) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की जांच करने के लिये आवश्यक, समुचित विशेष योग्यता रखने वाले तकनीकी मानव संसाधनों की व्यवस्था आवेदक द्वारा किये जाने के बारे में विस्तृत जानकारी एवं उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कार्य अनुभव की जानकारी।

(xi) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की जांच करने के लिये उपयोग में लिये जाने वाले प्रस्तावित टेस्ट उपकरणों की सूची।

(xii) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की निवारक रख रखाव योजना के अंतर्गत की जाने वाली जांच की रिपोर्ट को जेल अधिकारियों को प्रस्तुत करने के लिये प्रयोग में लिये जाने वाले प्रस्तावित "रिपोर्ट फार्म" की प्रति (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक/कोई अन्य जांच)

(xiii) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सुचारू कार्य करने एवं इसके रख रखाव के बारे में इन उपकरणों को प्रयोग में लेने वाले जेल के अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके अभिमत (Feed back) को प्राप्त

Scanned with CamScanner

करने की कार्य प्रणाली एवं इसके लिये प्रयोग में लेने के लिये प्रस्तावित फॉर्म इत्यादि का विवरण एवं प्रकार।

(xiv) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों की करने वाली जांच/टेस्ट रिजल्ट के डेटा का रिकार्ड रखने के प्रारूप की प्रति।

(xv) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों के कार्य करने की अवधि (life of Equipment) जो कि इन उपकरणों के ओ.ई.एम. द्वारा अनुमोदित की गयी हो।

(xvi) सी.सी.टी.वी. तंत्र के सभी तकनीकी उपकरणों में उपयोग में लिये जा रहे Software Program के समय–समय पर जारी किये जाने वाले पैच को अप्लाई करने की प्रक्रिया का विवरण।

Scanned with CamScanner

मध्यप्रदेश की जेलों में स्थापित सी.सी.टी.वी. तंत्र के नियोजित निवारक रख रखाव का वार्षिक कैलेन्डर

1. निविदाकार रख रखाव के लिये वार्षिक कैलेन्डर निम्न तालिका के अनुसार प्रस्तुत करेंगे। इस तालिका में सी.सी.टी.वी. तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिये विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक) निवारक रख रखाव गतिविधियों की आवश्यकता का विवरण उल्लेखित होगा।

उपकरण की जांच के प्रकार	पाक्षिक	मासिक	त्रैमासिक	अर्द्धवार्षिक	कोई अन्य
सी.सी.टी.वी. तंत्र के उपकरण					
पी.टी.जेड कैमरा					
फिक्स कैमरा					
एल.सी.डी. टेलिविजन					
सर्वर					
स्टोरेज सर्वर					
बैकअप सर्वर					
बैकअप स्टोरेज सर्वर					
ऐप्लीकेशन साफ्टवेयर					
वीडियो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर					
नेटवर्क स्विच					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का आर.एफ. उपकरण					
नेटवर्क केबल					
कैमरे का फील्ड बॉक्स					
कैमरे के फील्ड बॉक्स मे लगे उपकरण					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का यू.पी.एस.					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का एयर कंडीशनर					
सर्वर की रैक					
सी.सी.टी.वी. तंत्र का और कोई अन्य उपकरण					

Scanned with CamScanner

2. **<u>उपकरणों पर किये जाने वाले जांच कार्य :-</u>** निविदाकार सी.सी.टी.वी. तंत्र के प्रत्येक उपकरण के लिये विभिन्न प्रकार की (पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक) ''निवारक रख रखाव'' गतिविधियों एवं उनके अंतर्गत किये जाने वाले विभिन्न जांच का कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। इन जांच कार्यो की जानकारी निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की जायेगी। सी.सी.टी.वी. तंत्र के किसी उपकरण के लिये यदि पाक्षिक/मासिक/त्रैमासिक/अर्द्धवार्षिक में से किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नही होने की अनुशंसा आवेदक द्वारा प्रस्ताव में की जाती है तो आवेदक द्वारा उस जांच प्रकार के साथ ''आवश्यक नहीं'' लिखा जाएगा।

a. **पी.टी.जेड. कैमरा**
   i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

b. **फिक्स कैमरा**
   i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

c. **एल.सी.डी. टेलिविजन**
   i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

d. **सर्वर**
   i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

e. **स्टोरेज सर्वर**
   i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

f. **बैकअप सर्वर**
   i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
   iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

Scanned with CamScanner

iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

g. **बैकअप स्टोरेज सर्वर**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

h. **एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

i. **वीडियो मैनेजमैंट सॉफ्टवेयर**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

j. **नेटवर्क स्विच**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

k. **सी.सी.टी.वी. तंत्र का आर.एफ. उपकरण**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

l. **नेटवर्क केबल**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

m. **कैमरे का फील्ड बॉक्स**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

Scanned with CamScanner

iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

n. **कैमरे के फील्ड बॉक्स मे लगे उपकरण**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

o. **सी.सी.टी.वी. तंत्र क यू.पी.एस.**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

p. **सी.सी.टी.वी. तंत्र का एयर कंडीशनर**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

q. **सर्वर की रैक**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

r. **सी.सी.टी.वी. तंत्र का कोई अन्य उपकरण**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

s. **सायबर सिक्योरिटी के प्रवधानों की विस्तृत जांच**

i. पाक्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
ii. मासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iii. त्रैमासिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण
iv. अर्द्धवार्षिक जांच के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो का सूची वार विस्तृत विवरण

3. **जांच के लिये आवश्यक उपकरणों की सूची :-** निविदाकार द्वारा, सी.सी.टी.वी. तंत्र के उपकरणों के लिये अनुशंसित उपरोक्त सभी प्रकार की जांचो में उपयोग में आने वाले जांच उपकरणों की सूची इस प्रस्ताव में प्रस्तुत की जाएगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by DUSHYANT KUMAR PINAGARE
Date: 2025.06.13 13:21:00 IST
Location: Madhya Pradesh-MP

Scanned with CamScanner